भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2920

बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

सरकारी कार्यालयों में रूफटॉप सौर-प्रणाली लगाना

2920. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को अपने यहां रूफटॉप सौर-प्रणाली लगाने का निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे सरकारी भवनों की संख्या कितनी है जहाँ रूफटॉप सौर-प्रणाली लगाए जा चुके हैं;

(ग) इससे बिजली के खर्च में कितनी अनुमानित कमी आई है;

(घ) क्या सरकार का सभी सरकारी संस्थानों में रूफटॉप सौर-प्रणाली को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ.) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ड.) वर्तमान में सभी सरकारी संस्थानों में रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियों की स्थापना को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने सभी विभागों, कार्यालयों तथा संस्थानों को उनके भवनों की खाली छतों का उपयोग सौर पैनलों की स्थापना हेतु करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे उनके स्वामित्व वाले सभी भवनों पर रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियों की स्थापना हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

इसके अतिरिक्त, रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियों की स्थापना द्वारा सरकारी भवनों को परिपूर्ण करना सौरीकरण **पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY)** के घटकों में से एक है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें विभिन्न कार्यान्वयन मॉडल उपलब्ध कराए गए हैं तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की स्थापना का अनुभव रखने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों

(CPSEs) को केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके भवनों पर रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियों की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए आवंटित किया गया है।

हालांकि, सरकारी भवनों के लिए कोई केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियों की स्थापना करना उनके लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के बिना भी वित्तीय रूप से व्यवहार्य है।

संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात् चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव तथा लद्दाख ने रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से सरकारी भवनों के पूर्ण सौरीकरण में परिपूर्णता की सूचना दी है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) को संबंधित मंत्रालयों से 41,972 केंद्रीय सरकारी भवनों के सौरीकरण हेतु कार्ययोजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से दिनांक 16.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 24,376 भवनों का लगभग 854 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ सौरकरण किया जा चुका है।

इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लगभग 1,447 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ 81,754 सरकारी भवनों के सौरीकरण की सूचना दी है।

रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियों की स्थापना से विद्युत व्यय में होने वाली कमी विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें लागू विद्युत शुल्क, रूफटॉप सौर (RTS) प्रणालियों की स्थापना की लागत तथा इन प्रणालियों से उत्पन्न सौर विद्युत शामिल हैं। अतः यह विभिन्न सरकारी भवनों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकती है।
